

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 जून 2013—आषाढ़ 4, शक 1935

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 25 जून 2013

क्र. एफ-5-2-2013-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, सन् 1961) की धारा 57-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री प्रभात कुमार पाराशर, सेवानिवृत्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन को पद धारण करने के दिनांक से उक्त अधिनियम की धारा 57-ग (3) (ख) में वर्णित अवधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी नियुक्त करता है.

ORDER

No. F-5-2-2013-XV-1.—In exercise of the powers conferred by Section 57 (c) of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government hereby appoints Shri Prabhat Kumar Parashar, Ex-secretary to the Government of Madhya Pradesh, as Madhya Pradesh State Co-operative Election Authority for the period specified in Section 57-C (3) (b) of the above said Act from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव.